



ई, मेल :- dforudraprayag@gmail.com

फोन/ फैक्स नं० :- 01364-233505::

पता :- माई की मढ़ी निकट जवाड़ी बाईपास रुद्रप्रयाग

कार्यालय उप वन संरक्षक, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।

पत्रांक :- 4362 / 12-1(C2) दिनांक 17/06/2020::

सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
ऊखीमठ।

विषय :- जनपद रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ के तहसील-ऊखीमठ के अन्तर्गत हाट-बष्ठी मोटर मार्ग को एन०एच०-107 से जोड़ने के लिये मन्दाकिनी नदी पर शहीद गजेन्द्र सिंह बिष्ट के नाम से लौह सेतु के निर्माण हेतु 0.060 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

PROPOSAL NO.- FP/UK/ROAD/37828/2018

सन्दर्भ :- आपका पत्रांक-13 सी. दिनांक 12.05.2020।

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून ने उनकी पत्र संख्या-08बी./यू०सी०पी०/06/173/2019/एफ०सी०/2466 दिनांक 05.02.2020 के द्वारा विषयगत प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में प्रदत्त अध्यारोपित शर्तों के अनुपालन में जमा की जाने वाली धनराशियों का वित्तीय वर्ष परिवर्तन के कारण संशोधित डिमांड नोट निम्न प्रकार प्रेषित है-

- (1) सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-1 के अनुपालन में 100 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखारखाव हेतु देय धनराशि प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड की पत्र संख्या-972/3-5-2(11) दिनांक 21.11.2017 में उल्लिखित वसूली वर्ष 2020-21 के लिये निर्धारित दर के अनुसार रुपये 100 वृक्ष @ 1331 = 133100.00 (एक लाख, तैंतीस हजार, एक सौ) मात्र की धनराशि जमा की जानी है।
- (2) शासन की शर्त संख्या-2 के अनुपालन में ऑनलाईन भरे गये प्रपत्र-भाग-2 के अनुसार प्रशनगत क्षेत्र इको क्लास-V के अन्तर्गत घनत्व 0.20 है० तदनुसार भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ०-सी० दिनांक 05.02.2009 में उल्लिखित दरों के अनुसार रुपये 0.060 ha. @ 657000.00/ha. = 39420.00 (उत्तालीस हजार, चार सौ बीस) मात्र की धनराशि जमा की जानी है।

अतः उपरोक्तानुसार आंकलित की गई धनराशियों का अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरा नगर, फॉरेस्ट कालोनी, देहरादून कार्यालय से सत्यापित होने के पश्चात् सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्त संख्या-4 के नियमानुसार उक्त आंकलित धनराशियों को जमा करना सुनिश्चित करें।

उप वन संरक्षक,
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।

संख्या- / दिनांकित।

प्रतिलिपि :- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरा नगर, फॉरेस्ट कालोनी, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग को सूचनार्थ प्रेषित।

उप वन संरक्षक,
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।